उपस्थिति – किरण ओझा

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 62/2025

विशुन सिंह.....वादी।

बनाम्

गोलू पांडे वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

28.07.2026 वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 07.07.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कहते है कि अर्जी में टाईपिस्ट के भूल कुछ तथ्य टाईप होना छुट गचा ह जिसका संशोधन न्यायहित में आवश्यक है। अनुरोध करते है वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्राकृति का है जिससे वाद के स्वरूप पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पडता है जिसके आलोक में अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्राकृति का है जिससे वाद के स्वरूप पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पडता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 07.07.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक–11.08.2026 वास्ते सुनवाई हेतू।

लेखापित

(किरण ओझा)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)